न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशा0 सदस्य

निगरानी क्रमांक निग0 1502 [illegible] 12 विरुद्ध आदेश दिनांक 24 – 12 [illegible] द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण क्रमांक 413 09–10 / अपील

[illegible] मोहम्मद पिता [illegible] मोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी -- खजूरी अलाहदाद
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर ----- आवेदक

विरुद्ध

[illegible] मोहम्मद पिता [illegible] मोहम्मद
[illegible] मोहम्मद पिता रियाज मोहम्मद
जाति मुसलमान निवासी खजूरी अलाहदाद
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर ----- अनावेदकगण

श्री [illegible] व्यास, अधिवक्ता, आवेदक
श्री विजय नातानी अधिवक्ता, अनावेदक .

:: आदेश ::

(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 413 09–10 / अपील में पारित आदेश दिनांक 24–4–12 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के [illegible] निम्न न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया कि ग्राम खजूरी अलाहदाद तहसील कालापीपल स्थित विवादित भूमि के भूमिस्वामी रफीक मोहम्मद पिता [illegible] खां थे जो उनके ताऊजी अर्थात पिता के बड़े भाई थे। रफीक मोहम्मद की [illegible] मोहम्मद ने उसकी [illegible] विवादित भूमि का [illegible] को दिनांक 17 4 1983 को हिबानामा कर कब्जा सौंप दिया था। रफीक मोहम्मद ने उक्त हिबानामा अपीलांटस के पक्ष में साक्षियों के

समक्ष किया था उस समय अपीलांटस [illegible] इसलिये हिब को अनावेदकों के हित में स्वीकार किया था तथा कब्जा प्राप्त किया था । रफीक मोहम्मद की मृत्यु के बाद उक्त भूमि पर बदरूनिशा बेगम बेवा रफीक मोहम्मद तथा तयबबबाई पुत्री रफीक मोहम्मद का नामांतरण किया गया है जो वास्तविकता के विपरीत है क्योंकि हिब के बाद बदरूनिशा बेगम बेवा रफीक मोहम्मद तथा तयबबबाई पुत्री रफीक मोहम्मद मुसलमान का कभी भूमि पर कब्जा नहीं रहा तथा रफीक मोहम्मद द्वारा बदरूनिशा को 14—4—1983 को तलाक दे दिया था जिसमें स्पष्ट रूप से पत्नी एवं पुत्री को उनकी जायदाद में अधिकार प्राप्त नहीं होने का उल्लेख किया था । आवेदन में अनावेदकों द्वारा विवादित भूमि पर नामांतरण स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया । तहसीलदार द्वारा उक्त आवेदन पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक कार्यवाही उपरांत अनावेदकों का नामांतरण स्वीकार किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने 19—7—10 द्वारा स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि प्रश्नाधीन भूमि सर्वप्रथम बदरूनिशा आदि के नाम अंकित की जाये तथा भूमिस्वामी के सही पते ज्ञात कर उनको नियमानुसार सूचना पत्र जारी कर व्यक्तिशः निवाह होने के उपरांत प्रकरण का गुणदोष पर निराकरण किया जाये । इस आदेश से असंतुष्ट होकर अनावेदकों द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश की गई जो अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा स्वीकार की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है

आवेदक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध है । आवेदक ने अधीनस्थ न्यायालय में यह वैधानिक प्रश्न उठाया था कि एस.डी.ओ. ने प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त नहीं था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] में उठाई गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया और न ही कोई निष्कर्ष दिया है जबकि माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा अनेक न्यायदृष्टांतों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि क्षेत्राधिकार का प्रश्न सर्वप्रथम निराकृत करना चाहिए । अपर आयुक्त ने

इस क्षेत्राधिकार बिंदु पर विचार नहीं किया है कि एस.डी.ओ. के अंतरिम आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त न्यायालय को अधिकार नहीं [illegible] । इस संबंध में [illegible] आर.एन. [illegible] 1987 [illegible] 364 1991 [illegible] 66 1984 आर.एन. [illegible] 1989 आर.एन. 154 का हवाला दिया गया है ।

यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश बोलता हुआ आदेश नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रिकार्ड का सही रूप से अवलोकन नहीं किया है अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण प्रत्यावर्तित किया था जहां अनावेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध था । उक्त आधार पर उन्होंने अपर आयुक्त के आदेश क्षेत्राधिकार एवं प्राकृतिक न्याय के विपरीत बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है ।

4- अनावेदकों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि आवेदकों को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का कोइ अधिकार नहीं था उनका विवादित भूमि में क्या हित है यह ना तो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में बताया गया और ना ही इस न्यायालय के समक्ष । अतः अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष उनकी अपील प्रचलन योग्य ही नहीं था । यह भी कहा गया कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को पढ़ने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा पारित आदेश अंतरिम प्रकृति का न होकर अंतिम प्रकृति का है क्योंकि उनके द्वारा न केवल तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त कर प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया बल्कि अभिलेख पूर्व स्थिति में रखने के भी आदेश दिए हैं । अतः उनके आदेश को अतिम प्रकृति का नहीं माना जा सकता ।

यह भी कहा गया कि विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें कोइ विधिक त्रुटि नहीं है और ना ही ऐसा कोई आधार है जिस कारण प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जावे । आवेदकगण उसी ग्राम का निवासी हैं जहां भूमि स्थित है उसके द्वारा विचारण न्यायालय में कभी भी पक्षकार बनाने हेतु आवेदन नहीं दिया गया । आवेदक विचारण न्यायालय में पक्षकार भी नहीं था [illegible] के समक्ष अपील करने हेतु अनुमति लेना चाहिए थी किंतु उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया । अपील भी 154 दिवस उपरांत पेश की गई थी किंतु विलंब के संबंध में दिन प्रतिदिन का कोई स्पष्टीकरण

नहीं दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने सकल स्थिति का अवलोकन कर स्थगन पारित किया गया है इसलिए अपर आयुक्त ने उनके आदेश को निरस्त करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण विचारण न्यायालय को अन्तरिम निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया है जो अंतरिम प्रकृति का है । अंतरिम आदेश के विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं है । न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 25 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि भू–राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.) – धारा 46 सी तथा 44 – अंतरिम प्रकृति के आदेश के विरूद्ध अपील – चलाने योग्य नहीं – ऐसी अपील में पारित आदेश कायम नहीं रखा जा सकता । यह न्यायदृष्टांत 1976 आर. एन. 250 (उच्च न्यायालय) पर आधारित है । इस विधिक स्थिति को अपर आयुक्त ने अनदेखा किया है । अतः अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्ती योग्य है । चूंकि अपर आयुक्त का आदेश इसी आधार पर निरस्त किया जा रहा है अतः प्रकरण में उठाये गये अन्य बिंदुओं पर विचार की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त का आलोच्य आदेश निरस्त किया जाता है एवं अनुविभागीय अधिकारी का प्रत्यावर्तन आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशा0 सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर